

### असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 372]

 PUBLISHED BY AUTHORITY

 नई दिल्ली,शुक्रवार,जुलाई 26, 2013/श्रावण4, 1935

No. 372]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 26, 2013/SHRAVANA4, 1935

## पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2013

सा.का.नि. 508(अ)—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 124 की उप—धारा (1) के साथ पिठत उप—धारा 132 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा कांडला पत्तन न्यास (स्टीवडोर्स की लाइसेंसिंग) विनियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन अनुमोदित करती है:—

(i) उप विनियम 2 (v) को निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

''स्टीवडोर'' का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसे विनियम 4 के अंतर्गत स्टीवडोरिंग लाइसेंस दिया गया हो और इसमें वह व्यक्ति शामिल है जो विनियम 14 के तहत एक स्टीवडोर हो।

- (ii) प्रपत्र 'क' के कॉलम सं. 6 के नीचे कोष्ठकों में दर्शाए गए शब्दों को इस प्रकार पढ़ा जाएगा (नवीकरण किए जाने के मामले में पिछले 2 वर्षों में स्टीवडोर किया गया कार्गो और टनभार)
- (iii) प्रपत्र ''ख'' की शर्त सं. 3 के नीचे कोष्ठकों में दर्शाए गए शब्दों को इस प्रकार पढ़ा जाए, (यहां उन शर्तों को इंगित करें जिन पर लाइसेंस दिया गया है उदाहरण के लिए उपर्युक्त विनियमों के विनियम 6 में सूचीबद्ध कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व)।

अन्य सभी निबंधन और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

3288 GI/2013 (1)

2. उक्त अधिसूचना सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा.सं. एल बी–13018/4/2005–एल–II] एन. मुरूगानन्दम, संयुक्त सचिव

**पाद टिप्पणी**:— मूल अधिसूचना भारत के असाधारण राजपत्र, भाग— II, खंड—3—उपखंड (i) में 18 जून, 2010 के सा.का.नि., 522 (अ) द्वारा प्रकाशित हुई थी ।

### MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

### **NOTIFICATION**

New Delhi the 26<sup>th</sup> July, 2013

- **G.S.R. 508(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124 read with Sub-Section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the following amendments to the Kandla Port Trust (Licensing of Stevedores) Regulations, 2010:-
- (i) Sub Regulation 2(v) shall be read as under:
  - "Stevedore" means a person to whom a stevedoring license has been given under Regulation 4 and includes a person who is a stevedore by virtue of Regulation 14.
- (ii) The words in brackets appearing below column No. 6 of Form 'A' shall be read as (The cargo and tonnage stevedored in the previous 2 years in case of renewal to be furnished).
- (iii) The words in brackets appearing below condition No. 3 of Form "B" shall be read as (Here point the conditions subject to which the licence is given e.g. the duties and responsibilities enlisted in Regulation 6 of the regulations).

All other terms and conditions remain unchanged.

2. The said notification shall come into effect from the date of publication of this Notification in the official Gazette.

[F.No. LB-13018/4/2005-L-II] N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.

**Foot Note:**—The Principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part- II Section 3 – Sub-section (i) vide G.S.R. 522(E) dated 18<sup>th</sup> June 2010.